

न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 417/18

सरकार

बनाम

श्री: नैराम पुत्र रामलाल
जाति गुजर नि. खवदा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 20/3/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री नैराम पुत्र श्री रामलाल जाति गुजर निवासी खवदा तहसील महवा ने संवत् 20-7 फसल रवि / खरीफ मे ग्राम गजीपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 498 रकबा 0.06 किस्म गुजर भूमि से 50 रकबा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिचार कर लिया है।
दीवार बनकर

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.03 का 50 गुना 2.25 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 82 पर
वर्ष 2017-18 में नैराम/पटवारी मीलामी
की राशि तादादी रुपये 2.25 प०....
की जमा कायमी की गई।
दिनांक : 20/3/18 तहसील महवा लेखाकार
Pochay
तहसील-महवा

मायब
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार
महवा जिला दौसा